

प्राप्त-12/19
विश्व
20/2/19

235
22-2-19

राजस्थान सरकार

आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग


क्रमांक : प. 10(88)आयु./2018

जयपुर दिनांक : 18 FEB 2019

-: अधिसूचना :-

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का सं.23) की धारा 33 एफ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा डॉ. नवीन उपाध्याय, एम.डी. (द्रव्यगुण विज्ञान), एनालिस्ट को राजकीय आयुर्वेद औषध परीक्षण प्रयोगशाला, अजमेर में सम्पूर्ण राजस्थान राज्य के लिये राजकीय विश्लेषक के रूप में नियुक्त करती है।

• आज्ञा से,



(एच.एम.ढाका)

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान-अजमेर

क्रमांक:प.1/प्रति-1/राज0/व.सू./स.नि.ग्रेड II/2019/ 3975

दिनांक: 27.02.19

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :-

1. संयुक्त शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान-जयपुर
2. निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर
3. निदेशक, होम्योपैथी/यूनानी चिकित्सा विभाग, जयपुर
4. कुल सचिव, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
5. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर
6. औषधि नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य भवन, जयपुर
7. अतिरिक्त निदेशक, राजकीय आयुर्वेद रसायनशालाएं, अजमेर
8. अनुज्ञापन अधिकारी/सहायक औषधि नियंत्रक, आयुर्वेद विभाग, जयपुर
9. प्राचार्य राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर
10. मिशन निदेशक, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, राष्ट्रीय आयुष मिशन, जयपुर
11. राजकीय, आयुर्वेद औषध परीक्षण प्रयोगशाला, अजमेर
12. प्रोग्रामर, आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर को देकर लेख है कि उक्त पत्र को संबधित कार्यालयो को जरिये ई-मेल भिजवावे एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावे।
13. संबधित कार्मिक डा.नवीन उपाध्याय, एनालिस्ट (डी.टी.एल.) को मार्फत अतिरिक्त निदेशक, राजकीय आयुर्वेद रसायनशालाएं, अजमेर
14. सामान्य पत्रावली



(आनन्द कुमार शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(आयु.)